न्यायालय जिला कलक्टर भरतपुर

अपील/RTI/42/2023

ASIF IQBAL E-163, St. No.3 West Vinod Nagar (Parwati Niwas) Delhi 110092 ..अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर ..रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश दिनांक 16.08.2023

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट ASIF IQBAL E-163, St. No.3 West Vinod Nagar (Parwati Niwas) Delhi 110092 की अपील लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के विरूद्ध इस आशय की प्राप्त हुई है। कि अपीलार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। न्यायालय के पत्रांक 559 दिनांक 02.08.2023 से लोक सूचना अधिकारी से सूचना उपलब्ध कराने/नहीं कराने की रिपोर्ट तलब की गई।

लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर के पत्रांक सामान्य/अपील/2022/7839 दिनांक 16.08.2023 से प्रस्तुत अपील के सम्बन्ध में जबाव प्रस्तुत किया गया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा वॉछित सूचना प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण पत्रांक सामान्य/RTI(100)/2023/5007 दिनांक 7.7.2023 से आरटीआई 2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर को प्रेषित कर दिया गया था तथा प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलक्ट्रेट भरतपुर के पत्रांक न्याय/सू.अधि0/2023/559 दिनांक 20.07.2023 की प्रति संलग्न कर भिजवाई गई

है। उक्त पत्र से अपीलार्थी के घर के पते पर सूचना भिजवाई जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर कोई सूचना लम्बित नहीं है।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, निर्णय की प्रति अपीलान्ट को (लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सहित) प्रेषित हो, निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) भरतपुर एवं प्रभारी अधिकारी न्याय अनुभाग कलै0 भरतपुर को भी प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग, जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर
भरतपुर